किस्म मुकदमा......धारा 111,128 RLR Act अनवान– स्वीटी अरोडा वगैरा बनाम गलाराम वगैरा मु.नं. 43/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकामजोइसहुक्म की तामीलमेंजारीहुए
27.05.2024	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण के वकील उपस्थित । विप्रार्थी संख्या 1 ता 6 के विरूद्ध बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। प्रार्थीगण वकील की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण विवादित भूमि की रिकार्डेड खातेदार हैं और उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करती आ रही है। विप्रार्थीगण के खेत प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि से लगते हुए होने से वे माठ तोड़ कर जबरन प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर काबिज होने को उतारू रहते है। अतः प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवाना चाहती है। ऐसी सूरत में विवादित भूमि की नेखमबंदी किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है। लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पीपलून तहसील सिवाना के खसरा संख्या 820/237 व 821/237 रकबा क्रमशः 1.3001 व 0.6500 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ बाद पैमाईस पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार सिवाना को 1000/– रुपये शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार सिवाना को संबंधित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। Signature Not Verified Digitally signed by Surendra Singh Khangarot Date: 2024.06.12 11:15:22 IST Reason: SelfAttested उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाडमेर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना (बालोतरा)

क्रमांकः वाचक/2024/869 दिनांक : 30-05-2024

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
स्वीटी अरोडा पत्नी सूर्यप्रकाश अरोडा वगैरा		गलाराम पुत्र भगाराम वगैरा

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढ़ी

राजस्व आवेदन सं 43/2024 दिनांक :— 27.05.2024

—:: आदेश ::—

उपरोक्त अनवान प्रकरण में ग्राम पीपलून तहसील सिवाना के खेत खसरा संख्या 820/237 व 821/237 रकबा क्रमशः 1.3001 व 0.6500 हैक्टयर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार सिवाना को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस रूपये 1000/—प्रार्थीगण अदा करे।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर उन्हे सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी,
सिवाना (बाडमेर)

क्रमांकः वाचक /2024/870 - 873 दिनांक : 30-05-2024

प्रतिलिपि :

1. तहसीलदार सिवाना
2. थानाधिकारी पुलिस थाना सिवाना
3. हल्का पटवारी गोलिया को तहसीलदार सिवाना द्वारा निर्धारित की गई तिथि को मय रेकर्ड मौके पर उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
4. श्रीमती स्वीटी अरोडा पत्नी सूर्यप्रकाश अरोडा निवासी सिवाना तहसील सिवाना जिला बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2024.06.12 11:15:22 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाडमेर)

उपखण्ड अधिकारी,
सिवाना (बाडमेर)